रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2829] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 30, 2015/पौष 9, 1937
No. 2829] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 30, 2015/PAUSA 9, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2015

का.आ. 3550(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंद्रा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

घाटाप्रभा पक्षी अभयारण्य, कर्नाटक सरकार की अधिसूचना सं. एफईई 58 एफडब्ल्यू-एल 96, तारीख 8.7.1999 द्वारा अधिसूचित की गई और बेलगाम जिले के गोकाक तथा हुकेरी में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 29.875 वर्ग कि.मी. है ।

यह एक लघु पक्षी अभयारण्य जिसमें घाटाप्रभा नदी का एक भाग है और इसमें 22 से अधिक द्वीप हैं। धूपादल के निकट 1863 के दौरान संनिर्मित बंधारा और बांध ने इसके बीचोबीच एक विशाल द्वीप वाला जलाशय उजान सृजित कर दिया है। अभयारण्य के पूर्वोत्तर भाग में अवस्थित गोकाक जल प्रपात मुख्य पर्यटन आकर्षण है।

और यह द्वीप मार्च महीने के कुछ दिनों को छोड़कर जल से घिरा हुआ होता है और अच्छी रेलें तथा सड़कों के नेटवर्क से जुड़ा है जिसके प्रति बहुत से पर्यटक, पक्षी दर्शक, स्कूल विद्यार्थी आकर्षित होते हैं। यह पक्षी प्राणिजात में विनिर्दिष्ट होने वाली वन्य जीव के संबंध में जन जागृति सृजन के लिए एक सुअवसर प्रदान करता है। यह नदीय पारिस्थितिकीय प्रणाली का एक अच्छा उदाहरण है।

और अधिकांश द्वीप, जिनमें अभयारण्य हैं, बंजर तथा शुष्क है और उनमें से धुपादल झील के पश्चिमी दिशा में एक द्वीप दलदल वाला है और दूसरा द्वीप में एकासिया, एरा बाइका, पौधे कोल्जे बीइयम डूल्स और वम्बूसा, अरिन्डनेइसिया की अच्छी वृद्धि है, दोनों ही सन्निविष्ट प्रजातियां हैं। एकासिया एराबाइका और इम्पेरेट सिलन्डारिका विशेष हित की समझी जाती है क्योंकि घोंसला बनाने के लिए अच्छी होती हैं। छोटे जल कौआ, बगुला, बुज्जा, कौडिल्ला चमरघेंच, रार्पपक्षी, बगुला आदि जैसे देशज पक्षियों को आश्रय देने के अतिरिक्त यह क्षेत्र डेमाइसेले सारस तथा यूरोपीय स्वेत चमघेंच जैसे प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करने के लिए प्रसिद्ध है जिनके नवम्बर से मार्च तक दर्शन किए गए हैं।

और, घाटाप्रभा पक्षी अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से **पारिस्थितिक संवेदी जोन** के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त **पारिस्थितिक संवेदी जोन** में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य में घाटाप्रभा पक्षी अभयारण्य के इर्द गिर्द 300 मीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को घाटाप्रभा पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिकि संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिक संवेदनशील जोन उत्तरी अक्षांश एन 16^0 10'29.22 से 16^0 10'26.62 पूर्वी देशांतर और ई 74^0 48'49.32 ई से 74^0 48'44.62 के बीच तथा 16^0 11'11.36 से 16^0 11'06.88 तक उत्तरी अक्षांश और 74^0 41'28.08 से 74^0 41'33.15 के बीच पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। घाटाप्रभा पक्षी अभयारण्य की आसपास की सीमा सहित 300 मीटर के 22.66 वर्ग किलोमीटर तक के क्षेत्र में फैला है और ऐसे जोन का सीमा वर्णन **उपाबंध-I** में दिया गया है।

(2) प्रमुख बिंदुओं के निर्देशांकों के साथ-साथ पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन के अंतर्गत आने वाले 16 ग्रामों की सूची **उपाबंध-II** पर उपाबद्ध है।

(3) पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन की सीमा के ब्यौरे मानचित्र के साथ-साथ उसके अक्षांश और रेखांश **उपाबंध-III** के रूप में संलग्न हैं।

(4) पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन और साथ ही अभयारण्य पर मुख्य अवस्थितियां (जीपीएस बिंदु) **उपाबंध-IIIअ** के रूप में संलग्न हैं।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना--(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर स्थानीय लोगों के प्रतिफल और स्थानीय लोगों के परामर्श से और इस अधिसूचना में अनुबंधों का पालन करते हुए एक आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) उक्त योजना का राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन किया जाएगा।

(3) पारिस्थितिक संवेदनशील जोन का आंचलिक महायोजना राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए और सुसंगत केन्द्रीय और राज्य विधियों के और केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप तैयार किया जाएगा।

(4) आंचलिक महायोजना पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय बातों को इसमें समाकालित करने के लिए सभी संबंधित राज्य विभागों के परामर्श से तैयार किया जाएगा, अर्थात् :--

(i) पर्यावरण ;

(ii) वन ;

(iii) शहरी विकास ;

(iv) पर्यटन ;

(v) नगरपालिका ;

(vi) राजस्व ;

(vii) कृषि ;

(viii) कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;

(ix) सिंचाई; और

(x) लोक निर्माण विभाग ।

(5) महायोजना में जब तक इस अधिसूचना में ऐसा विर्निदिष्ट न हो तब तक अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं किया जाएगा और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना के सुधार और अधिक दक्ष तथा पारिस्थितिकी अनुकूल होने वाले क्रियाकलाप इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो ।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान एवं प्रस्तावति पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, जनजातीय क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी जिससे पारिस्थितिकी अनुकूल विकास स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन सुरक्षा के लिए सुनिश्चित किया जा सके ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं. 13, 19, 25, 30 और सं. 33 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए, पर्यटकों के अस्थायी व्यवसाय भोग के लिए पारिस्थितिक अनुकूल कटीर जैसे टेन्ट, काष्ठ गृह;

(ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना तथा उनका सुदृढीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) वर्षा जल संचय; और

(v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग सुविधा भंडार तथा स्थानीय सुख सुविधाएं भी हैं :

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में प्रतीत होने वाली कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक की जाएगी और उक्त त्रुटि के ठीक करने की केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी।

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

परंतु यह भी कि जिससे हरित क्षेत्र जैसे वन क्षेत्र और कृषि क्षेत्र में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनुपयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों** -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा इन क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलापों, जो ऐसे क्षेत्रों के लिए हानिकारक हैं, को प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे।

(3) **पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, जो आंचलिक महायोजना का भाग रूप होंगे।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग द्वारा, कर्नाटक सरकार के वन और पर्यावरण विभाग, के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटक क्रियाकलापों के संबंध में अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा में होटल और रिसोर्टों का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाओं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें परिरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाई जाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, वास्तु शिल्पीय कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों और उपक्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार मार्गदर्शी सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार में मार्गदर्शी सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट –** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय रूप से स्वीकार्य रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गति आवास के अनुकूल रीति में विनियमित होगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध समाविष्ट किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, राज्य सरकार पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गति के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) **औद्योगिक यूनिट -** (क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ उद्योगों की स्थापना विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के लिए अनुज्ञात की जाएगी अन्यथा नहीं ।

(ख) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर जल, वायु, मृदा और ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग को स्थापित करने की अनुज्ञा नहीं होगी।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप :	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय नहीं होंगी जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संन्निर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइलों और ईंटों का निर्माण भी सम्मिलित है; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4.8.2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21.04.2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा होंगी।
2.	आरा मीलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मीलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
3.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
4.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
5.	नई बृहत तापीय और जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
6.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का उपयोगरत उत्पादन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्य या उपबंधित के सिवाय)
7.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
8.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप करना जैसे वायुयान और गर्म वायु गुबारों आदि को राष्ट्रीय अभयारण्य क्षेत्र के ऊपर से उड़ाना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
9.	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी : परंतु विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग विधि के अनुसार चलते जारी रह सकते है: परंतु यह और कि विद्यमान आरा मिलों में उनकी पर्यावसान अवधि पर नहीं होगी।
10.	वायु मीलों तथा मोबाइल टावरों का परिनिर्माण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।

11.	मछली पकड़ना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
	विनियमित क्रियाकलाप :	
12.	प्लास्टिक के कैरीथैलों लेमिनेटों और टेट्रापैकों का उपयोग ।	प्लास्टिक चीजों लेमिनेटों तथा टेट्रा पैकों का निपटान लागू विधियों के अधीन सर्वदा विनियमित और मानीटर होंगे ।
13.	होटल और रिसोर्ट का वाणिज्यिक स्थापन ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कोई नया वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं किया जाएगा सिवाय अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के संबंध में पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए ।
14.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किसी प्रकार कोई नया वाणिज्यिक संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । परंतु स्थानीय लोगों को पैरों के उपपैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुमति दी जाएगी: परंतु यह और कि ऐसे लघु उद्योगों, जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं से संबंधित संनिर्माण विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों यदि कोई हो, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमति से हो न्यूनतम पर रखे जाएंगे ।
15.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी । (ग) वनों तथा संरक्षित वनों की दशा में कार्य योजना का अनुसरण किया जाएगा ।
16.	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है ।	(क) केवल भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि उपयोग और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण सतही और भूमिगत जल अनुज्ञात होगा । (ख) वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है । (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा । (घ) किसी स्रोत जल जिसके अंतर्गत कृषि भी है, के संदूषण या प्रदूषण को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।
17.	विद्युत केबलों पारेषण लाइनों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण ।	भूमिगत केबलों के बिछाए जाने को प्रोत्साहन देना।
18.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में कांटेदार बाड़ लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।

19.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार किए जाएंगे।
20.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
21.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
22.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
23.	प्राकृतिक जलाशयों या भू-क्षेत्रों में उपचारित बहि:स्रावों और ठोस अपशिष्टों का निस्तारण।	उपचारित बहिस्राव के पुन:चक्रण को प्रोत्साहित किया जाएगा और अवमल या ठोस अपशिष्टों के व्ययन के लिए विद्यमान विनियमों का अनुसरण किया जाएगा।
24.	वाणिज्यिक साइन बोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों अनुसार विनियमित किया जाएगा।
25.	प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में देशीय माल से उत्पादों का उत्पादन करने वाले गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित ऐसे उद्योग जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे।
26.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
27.	वायु और यानीय प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
28.	कृषि प्रणाली में भारी परिवर्तन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
	संवर्धित क्रियाकलाप	
29.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी व्यवसायों के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
30.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
31.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
32.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
33.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	बायो गैस, सौर प्रकाश आदि को बढ़ावा दिया जाए।

5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(i) प्रखंड आयुक्त, बेल्लागवी - अध्यक्ष ;

(ii) माननीय विधान सभा सदस्य, अराभावी निर्वाचन क्षेत्र, बेल्लागवी जिला – सदस्य;

(iii) माननीय विधान सभा सदस्य गोकाक निर्वाचन क्षेत्र, बेल्लागवी जिला - सदस्य;

(iv) माननीय विधान सभा सदस्य, हुकेरी निर्वाचन क्षेत्र बेल्लागवी जिला – सदस्य;

(v) पर्यावरण विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि सदस्य;

(vi) कर्नाटक सरकार के शहरी विकास विभाग का प्रतिनिधि-सदस्य;

(vii) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि - सदस्य;

(viii) क्षेत्रीय अधिकारों, कर्नाटक सरकार के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मैसूर - सदस्य;

(ix) कर्नाटक सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ - सदस्य;

(x) उपायुक्त या उसका प्रतिनिधि चामाराजनगर, मन्डया और रामनगर- सदस्य;

(xi) उप वन संरक्षक, कावेरी वन्य जीव अभयारण्य, कोलेगल- सदस्य सचिव ।

*(अन्य बातों के साथ सुसंगत अनुमोदन, यदि अपेक्षित हो, जिसमें कर्नाटक विधान सभा अध्यक्ष से प्राप्त अनुमति भी है, प्राप्त करते हुए कर्नाटक सरकार के अध्यधीन)

6. निर्देश के निबंधन :

(1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन आने वाले ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, और पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध प्रखंड आयुक्त या संबद्ध पार्क उप वन संरक्षक, ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(5) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध IV** में उपबंधित रूप में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/157/2015-ईएसजैड/आरई]

डॉ. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

घाटाप्रभा पक्षी अभयारण्य की सीमाओं का विवरण

दक्षिण और पूर्व:

सीमा रेखा जिला बेलगाम, ताल्लुक हुक्केरी के घोदगेरी ग्राम के निर्देशांक से पू 74° 40'13.0 उ 16° 09' 50.0 आरंभ होती है। इसके बाद रेखा घोदगेरी, कोन्नुर, खानापुर, शींगालापुर, गोदचीनमलिकी, गोकक और लोलासुर ग्रामों से होते हुए घाटाप्रभा पक्षी अभयारण्य सीमा के समानांतर 300 मीटर की ओर जाती है ।

उत्तर और पश्चिम:

इसके बाद ऊपर के बिंदु से, रेखा हुक्केरी तालुक के ग्रामों लोलासुर, गोकक, शींगालापुर, धुपादल, कोन्नुर, शीरदन और सारापुर, कोटावगी, शीरगांव, अवरगोल, नागिनहल सुल्तानपुर ग्रामों से होते हुए घाटाप्रभा पक्षी अभयारण्य 300 मीटर होते हुए और इसके बाद अंततः आरंभिक बिन्दु से मिलती है ।

उपाबंध-II

घाटाप्रभा पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची

क्र. सं.	गांव का नाम	तालुका	जिला	सीमा (हेक्टे)	अक्षांश	देशांतर	टिप्पणी
1	सारापुर	हुक्केरी	बेलगाम	137.554	16.24323	74.71948	-
2	शिराधान	हुक्केरी	बेलगाम	165.78	16.23600	74.72663	-
3	कोटाबागी	हुक्केरी	बेलगाम	200.143	16.22547	74.68362	-
4	धुपादल	गोकाक	बेलगाम	43.609	16.20483	74.77138	-
5	खानपुर	गोकाक	बेलगाम	255.048	16.20920	74.70383	-
6	लोलासुर	गोकाक	बेलगाम	49.636	16.18342	74.82458	-
7	शिरागांव	हुक्केरी	बेलगाम	41.754	16.20688	74.66827	-
8	कोन्नुर	गोकाक	बेलगाम	265.774	16.20077	74.73978	-
9	अवारगोल	हुक्केरी	बेलगाम	172.231	16.18715	74.68845	-
10	सुल्तानपुर	हुक्केरी	बेलगाम	96.864	16.18503	74.65367	-
11	शिंगलापुर	गोकाक	बेलगाम	397.105	16.17305	74.80863	-
12	नागानीहाल	हुक्केरी	बेलगाम	46.869	16.18505	74.68523	-

13	मेलमत्ती	गोकाक	बेलगाम	2.924	16.17639	74.80110	-
14	गोकाक	गोकाक	बेलगाम	213.459	16.18585	74.78578	-
15	गोदाछिनामल्की	गोकाक	बेलगाम	6.731	16.25520	74.72427	-
16	घोदागेरी	हुक्केरी	बेलगाम	170.998	16.18557	74.70020	-
			कुल हेक्टे में	**2266.479**			

इन गांवों में भूमि उपयोग पैटर्न मुख्य रूप से मानव और पशु इकाइयों, स्कूलों, स्वास्थ्य केन्द्र में रहने वाली। कृषि इन गांवों के मुख्य गतिविधि है। मुख्य रूप से कृषि फसलों के तहत कृषि योग्य भूमि अर्थात, गन्ना, मक्का, सोयाबीन और बागान फसलें है। इन गांवों में भी सड़कें और अन्य सार्वजनिक सुविधाएं है।

उपाबंध-III

घाटाप्रभा पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र अक्षांश और देशांतर और जी.पी.एस. निर्देशांक के साथ

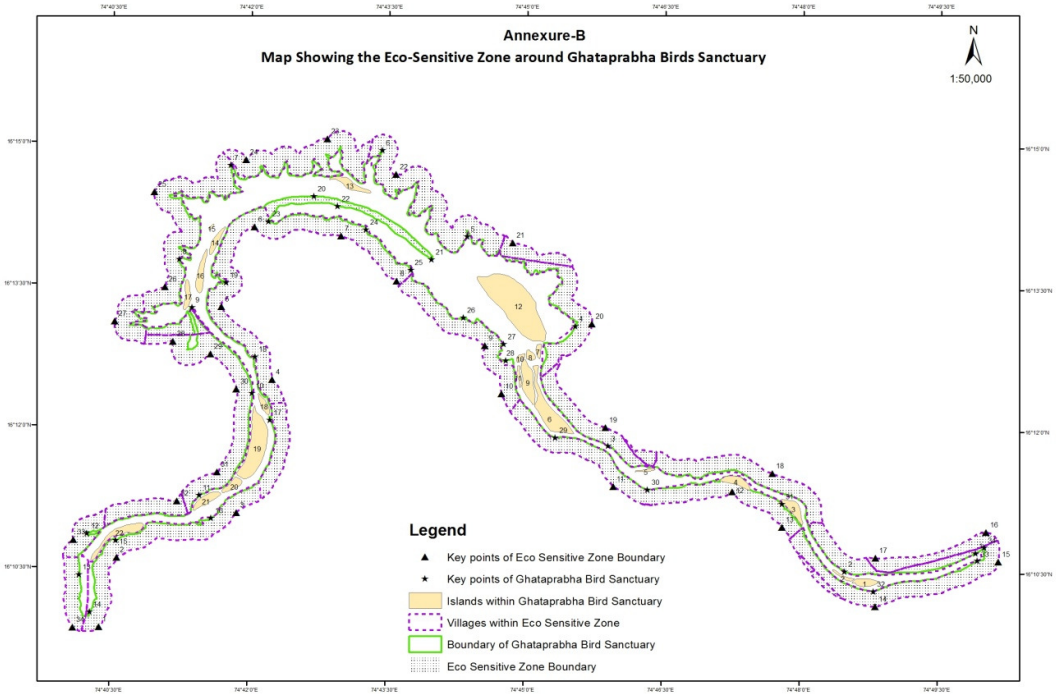

उपाबंध-III अ

घाटाप्रभा पक्षी अभयारण्य की सीमा के प्रमुख स्थान (जीपीएस बिन्दु)।

क्र. सं.	अक्षांश	देशांतर
1	16.17860	74.83185
2	16.17520	74.80816
3	16.19712	74.76514
4	16.21811	74.75908
5	16.23380	74.73936
6	16.24894	74.72387
7	16.24607	74.69641
8	16.22943	74.68724
9	16.22093	74.68958
10	16.20589	74.70058
11	16.18788	74.69116
12	16.18100	74.67091
13	16.17368	74.66948
14	16.16715	74.67144
15	16.17983	74.67611
16	16.18381	74.69336
17	16.20117	74.70388

क्र. सं.	अक्षांश	देशांतर
18	16.21230	74.70106
19	16.22534	74.69574
20	16.24068	74.71152
21	16.22970	74.73294
22	16.23901	74.71585
23	16.23620	74.70334
24	16.23490	74.72103
25	16.22785	74.72921
26	16.21953	74.73878
27	16.21487	74.74613
28	16.21198	74.74653
29	16.19849	74.75561
30	16.18941	74.77238
31	16.18709	74.79673
32	16.17175	74.81341
33	16.17730	74.83221
34	16.17964	74.83342

घाटाप्रभा पक्षी अभयारण्य की सीमा पर पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के प्रमुख स्थान (जीपीएस बिन्दु)।

क्र. सं.	अक्षांश	देशांतर
1	16.16448	74.67317
2	16.17678	74.67627
3	16.18480	74.69792
4	16.20833	74.70424
5	16.22112	74.69495
6	16.23517	74.70085
7	16.23368	74.71651
8	16.22587	74.72662
9	16.21455	74.74272
10	16.20613	74.74577
11	16.18993	74.76615
12	16.18916	74.78772
13	16.18295	74.79680
14	16.16908	74.81376
15	16.17714	74.83601
16	16.18231	74.83377
17	16.17761	74.81373

क्र. सं.	अक्षांश	देशांतर
18	16.19240	74.79497
19	16.20030	74.76466
20	16.21858	74.76207
21	16.23276	74.74762
22	16.24467	74.72640
23	16.25081	74.71388
24	16.24700	74.69923
25	16.24123	74.68265
26	16.22449	74.68466
27	16.21839	74.67561
28	16.21493	74.68621
29	16.21275	74.69299
30	16.20658	74.69776
31	16.19195	74.69434
32	16.18678	74.68713
33	16.17984	74.66847
34	16.16435	74.66838

उपाबंध-IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन मास्टर प्लान भी है ।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश । ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
5. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश ।
6. ईआईए के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश
8. महत्ता का कोई अन्य विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2015

S.O. 3550(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, Ghataprabha Bird Sanctuary notified vide Government of Karnataka Notification No. FEE 58 FWL 96 dated 8.7.1999 and situated in Gokak and Hukkeri Taluks of Belgaum District is spread over an area of 29.875 square kilometres;

AND WHEREAS, **i**t is a small bird sanctuary comprising a section of Ghataprabha River and over 22 islands in it. A weir and dam constructed during 1883 near Dhupadal have created a reservoir upstream with a large island in it's midst. The Gokak waterfalls located in the eastern part of the Sanctuary is the major tourist attraction;

AND WHEREAS, the island surrounded by water throughout the year except few days in March, connected with good network of rail and road attracts many tourists, bird watchers, school children. It gives good opportunity to create awareness among public regarding wildlife to be specific in avifauna. It is a good example of riverine ecosystem;

AND WHEREAS, most of the islands that comprise the sanctuary are barren and dry and one of them at western side of Dhupadal Lake is swampy and another has a good growth of *Acacia arabica, Pithecollobium dulce and Bambusa arundianaecia*, both being introduced species. *Acacia arabica* and *Imperate cylindrica* are considered of special interest, as they are good for nesting. Apart from harboring endemic birds like little Cormorant, Egret, Ibis, King

fisher, Storks, Snake birds, Heron etc., the area is noted for having attracted migratory birds like Demoiselle Crane and European White Stork which have been sighted normally from November to March;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Ghataprabha Bird Sanctuary as Eco- sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent upto 300 meters all around the boundary of Ghataprabha Bird Sanctuary in the State of Karnataka as the Ghataprabha Bird Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The Eco-Sensitive Zone lies between the North Latitudes N 16º 10'29.22 to 16º 10'26.62 and East longitudes between E 74º 48'49.32' E to 74º 48'44.62 and North Latitudes N 16º 11'11.36 N to 16º 11'06.88 and East longitudes between E 74º 41'28.08 to 74º 41'33.15 and spread over an area of 22.66 square kilometers with an extent of 300 meters all around the boundary of Ghataprabha Bird Sanctuary and the boundary description of such Zone is given in **Annexure-I**.

(2) The list of 16 villages falling within Eco-sensitive Zone along with co-ordinates of prominent points is appended as **Annexure-II.**

(3) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as **Annexure-III.**

(4) Key locations (GPS points) on the eco-sensitive zone boundary as well as on the sanctuary are appended as **Annexure-IIIA.**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment;
(ii) Fores;
(iii) Urban Development;
(iv) Tourism;
(v) Municipal;
(vi) Revenue;
(vii) Agriculture;
(viii) Karnataka State Pollution Control Board;
(ix) Irrigation;
(x) Public Works Department;

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, need of local community and such other aspects of the ecology and environment that needs attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential need of local residents, and for the activities listed against serial numbers 13, 19, 25, 30 and 33 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for eco-friendly tourism activities,
(ii) Widening and strengthening of existing roads,
(iii) Small scale industries not causing pollution,
(iv) Rainwater harvesting, and
(v) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism, in consultation with the Department of Forests and Environment of the State Government.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural Heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or Karnataka State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government or Karnataka State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) The inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master Plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial Units.-** (a) No establishment of new wood based Industries within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted except the existing wood based industries set up as per the law.

(b) No establishment of any new industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
	Prohibited activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for the domestic needs of *bona fide* local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No. 435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.

3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Establishment of new thermal and major hydroelectric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Use or production of any hazardous substances including pesticides and insecticides.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft and hot-air balloons.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided the existing wood-based industry may continue as per law: Provided further that renewal of licenses of existing saw mills shall not be done on their expiry period.
10.	Erection of wind mills and mobile towers.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
11.	Fishing.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
	Regulated activities	
12.	Use of plastic carry bags, laminates and tetra packs.	Regulated under applicable laws. Disposal of plastic articles laminates and tetra packs shall be strictly regulated and monitored under applicable laws.
13.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within the Eco-sensitive Zone except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities.
14.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within Eco-sensitive Zone: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.
15.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government; (b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder; (c) in case of Reserve Forests and Protected Forests the Working Plan prescriptions shall be followed.

16.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land; (b) extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned regulatory authority; (c) no sale of surface water or ground water shall be permitted; (d) steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
17.	Erection of electrical cables, transmission lines and telecommunication towers.	Promote underground cabling.
18.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
19.	Widening and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
21.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
22.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
23.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area and disposal of solid waste.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
24.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
25.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
26.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
27.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
28.	Drastic change of agriculture systems.	Regulated under applicable laws.
Promoted activities		
29.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws.
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy sources.	Bio gas, solar light etc. to be promoted.

5. Monitoring Committee.- The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone falling in the State of Karnataka , which shall comprise of the following namely:-

(i) Regional Commissioner, Belagaavi –Chairman;

(ii) Hon'ble Member of Legislative Assembly, Arabhavi Constituency, Belagaavi District – Member;

(iii) Hon'ble Member of Legislative Assembly, Gokak Constituency, Belagaavi District – Member;

(iv) Hon'ble Member of Legislative Assembly, Hukkeri Constituency, Belagaavi District – Member;

(v) Representative of the Department of Environment, Government of Karnataka -Member;

(vi) Representative of the Department of Urban Development, Government of Karnataka -Member;

(vii) Representative of Non-governmental Organizations working in the field of natural conservation (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Karnataka -Member;

(viii) The Regional Officer, Karnataka State Pollution Control Board, Mysore -Member;

(ix) One expert in Ecology from reputed Institution or University of the State of Karnataka to be nominated by the Government of Karnataka -Member.

(x) Deputy Commissioner or his representative, Chamarajanagar, Mandya and Ramanagar –Member;

(xi) The Deputy Conservator of Forests, Cauvery Wildlife Sanctuary, Kollegal – Member-Secretary.

*(Subject to the State Government of Karnataka obtaining relevant approvals *inter alia* including permission from the Speaker of Legislative Assembly, Karnataka, if required)

6. Terms of Reference:

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(2) The activities that are covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(3) The activities that are not covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro- forma appended at **Annexure-IV**.

(7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/157/2015-ESZ/RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

BOUNDARIES OF GHATAPRABHA BIRD SANCTUARY

South and East:

The boundary line starts from the co-ordinate E 74° 40'13.0 N 16° 09' 50.0 of Ghodgeri village of Hukkeri Taluk, Belgaum District. Then the line runs 300 meters paralell to the Ghataprabha Bird Sanctuary boundary through Ghodgeri, Konnur, Khanapur, Shingalapur, Godchinmalki, Gokak and Lolasur villages.

North and West:

Then from the above point, the line passes 300 meters parallel to the Ghataprabha Bird Sanctuary through Lolasur, Gokak, Shingalapur, Dhupadal, Shingalapur, Konnur, Shirdan & Sarapur villages of Hukkeri Taluk, Kotabagi, Shirgaon, Awargol, Naginhal Sulthanpur villages and then finally joins the starting point.

ANNEXURE-II

LIST OF VILLAGES FALLING IN THE ECOSENSITIVE ZONE OF GHATAPRABHA BIRD SANCTUARY

Sl. No	Village Name	Taluka	District	Extent (Ha)	Latitude	Longitude	Remarks
1	Sarapur	Hukkeri	Belgaum	137.554	16.24323	74.71948	-
2	Shiradhan	Hukkeri	Belgaum	165.78	16.23600	74.72663	-
3	Kotabagi	Hukkeri	Belgaum	200.143	16.22547	74.68362	-
4	Dhupadal	Gokak	Belgaum	43.609	16.20483	74.77138	-
5	Khanapur	Gokak	Belgaum	255.048	16.20920	74.70383	-
6	Lolasur	Gokak	Belgaum	49.636	16.18342	74.82458	-
7	Shiragaon	Hukkeri	Belgaum	41.754	16.20688	74.66827	-
8	Konnur	Gokak	Belgaum	265.774	16.20077	74.73978	-
9	Awargol	Hukkeri	Belgaum	172.231	16.18715	74.68845	-
10	Sulthanpur	Hukkeri	Belgaum	96.864	16.18503	74.65367	-
11	Shingalapur	Gokak	Belgaum	397.105	16.17305	74.80863	-
12	Neganihal	Hukkeri	Belgaum	46.869	16.18505	74.68523	-
13	Melmatti	Gokak	Belgaum	2.924	16.17639	74.80110	-
14	Gokak	Gokak	Belgaum	213.459	16.18585	74.78578	-
15	Godachinamalki	Gokak	Belgaum	6.731	16.25520	74.72427	-
16	Ghodageri	Hukkeri	Belgaum	170.998	16.18557	74.70020	-
			Total in Ha.	**2266.479**			

The land use pattern in these villages is mainly human and cattle dwelling units, schools, health centre. Agriculture is the main activity of these villages. Arable lands mainly under agricultural crops viz., Sugar cane, maize, Soya bean and Plantation crops. These villages have roads and other public amenities also.

ANNEXURE-III

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF GHATAPRABHA BIRD SANCTUARY WITH LATITUDES AND LONGITUDES AND GPS COORDINATES

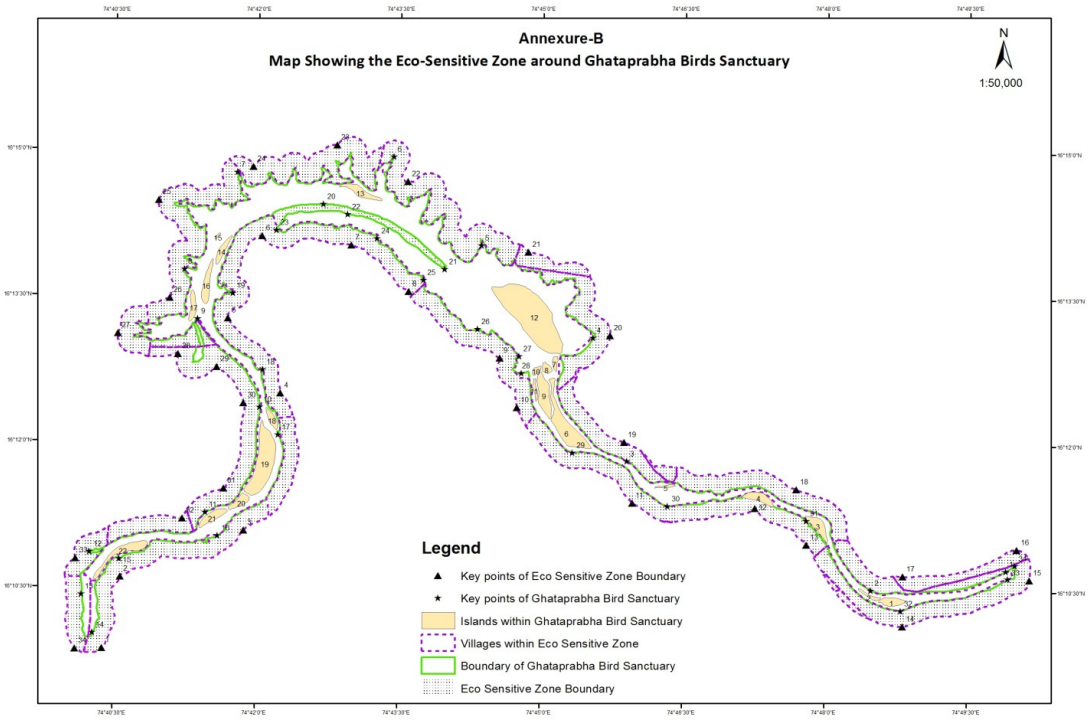

Annexure-IIIA

Key locations (GPS Points) on the Ghataprabha Bird Sanctuary boundary.

Sl. No.	Latitude	Longitude
1	16.17860	74.83185
2	16.17520	74.80816
3	16.19712	74.76514
4	16.21811	74.75908
5	16.23380	74.73936
6	16.24894	74.72387
7	16.24607	74.69641
8	16.22943	74.68724
9	16.22093	74.68958
10	16.20589	74.70058
11	16.18788	74.69116
12	16.18100	74.67091
13	16.17368	74.66948
14	16.16715	74.67144
15	16.17983	74.67611
16	16.18381	74.69336
17	16.20117	74.70388

Sl. No.	Latitude	Longitude
18	16.21230	74.70106
19	16.22534	74.69574
20	16.24068	74.71152
21	16.22970	74.73294
22	16.23901	74.71585
23	16.23620	74.70334
24	16.23490	74.72103
25	16.22785	74.72921
26	16.21953	74.73878
27	16.21487	74.74613
28	16.21198	74.74653
29	16.19849	74.75561
30	16.18941	74.77238
31	16.18709	74.79673
32	16.17175	74.81341
33	16.17730	74.83221
34	16.17964	74.83342

Key locations (GPS Points) on the Eco-sensitive Zone boundary of Ghataprabha Bird Sanctuary.

Sl. No.	latitude	longitude
1	16.16448	74.67317
2	16.17678	74.67627
3	16.18480	74.69792
4	16.20833	74.70424
5	16.22112	74.69495
6	16.23517	74.70085
7	16.23368	74.71651
8	16.22587	74.72662
9	16.21455	74.74272
10	16.20613	74.74577
11	16.18993	74.76615
12	16.18916	74.78772
13	16.18295	74.79680
14	16.16908	74.81376
15	16.17714	74.83601
16	16.18231	74.83377
17	16.17761	74.81373

Sl. No.	latitude	longitude
18	16.19240	74.79497
19	16.20030	74.76466
20	16.21858	74.76207
21	16.23276	74.74762
22	16.24467	74.72640
23	16.25081	74.71388
24	16.24700	74.69923
25	16.24123	74.68265
26	16.22449	74.68466
27	16.21839	74.67561
28	16.21493	74.68621
29	16.21275	74.69299
30	16.20658	74.69776
31	16.19195	74.69434
32	16.18678	74.68713
33	16.17984	74.66847
34	16.16435	74.66838

Annexure IV

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise).
   [Details may be attached as Annexure]
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006.
   [Details may be attached as separate Annexure]
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006.
   [Details may be attached as separate Annexure]
7. Summary of complaints ledged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.